<u>**न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं**</u>

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः— 399/2025

श्री सुरेन्द्र कुमार जोशी पुत्र श्री गोपीराम शर्मा, मकान नं0 18, नये मुख्य डाकघर के पीछे, चिडावा, जिला झुंझुनूं, मो0नं0 9785865271

बनाम

1. लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर, भू0अ0) झुंझुनूं
2. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी।

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

——

<u>आदेश</u>

दिनांक 15.10.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 24.09.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 399/2025 पर दिनांक 24.09.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर, भू0अ0) झुंझुनूं एवं लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर, भू0अ0) झुंझुनूं एवं लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर, भू0अ0) झुंझुनूं एवं लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/4356—58 दिनांक 24.09.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर, भू0अ0) झुंझुनूं ने अपने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/2025/1272 दिनांक 14.10.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार जोशी पुत्र श्री गोपीराम शर्मा, मकान नं0 18, नये मुख्य डाकघर के पीछे, चिडावा, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे इस कार्यालय के पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/2025/286 दिनांक 13.08.2025 के द्वारा तहसीलदार गुढागौडजी को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है एवं लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी ने पत्रांक सू0अ0अ0/2025/1030 दिनांक 04.10.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्राथी श्री सुरेन्द्र कुमार जोशी पुत्र श्री गोपीराम शर्मा, मकान नं0 18, नये मुख्य डाकघर के पीछे, चिडावा, जिला झुंझुनूं, मो0नं0 9785865271 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाही गई थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्र कमांक आरटीआई/2024/685 दिनांक 26.08.2025 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक के उपलब्ध करवा दी गई है। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित।
6. अपील लोक सूचना अधिकारी (अति0 जिला कलक्टर, भू0अ0) झुंझुनूं ने अपने पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/2025/1272 दिनांक 14.10.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी श्री सुरेन्द्र कुमार जोशी पुत्र श्री गोपीराम शर्मा, मकान नं0 18, नये मुख्य डाकघर के पीछे,

जिला कलक्टर झुन्झुनूं

चिडावा, जिला झुंझुनूं का आवेदन पत्र उनके कार्यालय को प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी द्वारा चाही गई उक्त सूचना के संबंध मे उनके कार्यालय के पत्रांक एफ 16(4)(5)न्याय/सू0अ0/2025/286 दिनांक 13.08.2025 के द्वारा तहसीलदार गुढागौडजी को नियमानुसार प्रार्थी को सूचना उपलब्ध करवाये जाने हेतु पत्र लिखा गया है एवं लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी ने पत्रांक सू0अ0अ0/2025/1030 दिनांक 04.10.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्राथी श्री सुरेन्द्र कुमार जोशी पुत्र श्री गोपीराम शर्मा, मकान नं0 18, नये मुख्य डाकघर के पीछे, चिडावा, जिला झुंझुनूं, मो0नं0 9785865271 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाही गई थी। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्र क्रमांक आरटीआई/2024/685 दिनांक 26.08.2025 के द्वारा जरिये रजिस्टर्ड डाक के उपलब्ध करवा दी गई है। प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी के स्तर से उपलब्ध करवाई जानी थी जिनके द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक होने का कथन करते हुए उपलब्ध नही करवाई गई है। चूंकि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना पूर्ण रूप से प्रश्नात्मक नही है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र न्यायहित मे स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि प्रार्थी को चाही गई सूचना लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) गुढागौडजी 7 दिवस मे निःशुल्क उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।

7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 15.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं